अनवान – सुगणीदेवी बनाम इंगरामित

मुकदमा नंबर:- 07/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनुपस्थित। विप्रार्थीगण वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थीगण विवादित भूमि मौजा फूलण तहसील सिवाना के खसरा संख्या 236/164 रकबा 12.00 बीघा व खसरा संख्या 331/164 रकबा 51.00 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में स्वंय प्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। विधि का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । विप्रार्थीगण वकील द्वारा अपने बहस के समर्थ में की 2013 DNJ (Revenue) 18 Vidhyadevi & Ors.vs Manaram & Ors. व 2015 2013 DNJ (Revenue) 59 Awatar Khan vs Meharbano & Ors. नजीर पेश की गई। हमने विप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अध्ययन किया तथा विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया । विप्रार्थीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है जो स्वंय प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में स्वीकार किया गया है। विधि के अन्तर्गत किसी भी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीनो सिद्धान्त सुविधा का संतुलन,साम्या का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर पूर्ण रूप से हस्तगत प्रकरण में चस्पा हो रही है। अतः दिनांक 19.02.2021 को विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अन्तरिम आदेश को खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2024.07.29 16:14:05 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	